

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, सणपा मानजी

प्रकरण सं.:- 73/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1064

दिनांक:-18.5.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खरंटिया व भू.अ.नि. होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साजन की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	साजन की ढाणी	33	107/76	रामाराम पुत्र विस्धाराम	रामलाल पुत्र विस्धाराम शेष बदुस्तर




क्रमांक:-लो.अदा./2018/1065-1067

प्रतिनिधि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामलाल पुत्र विस्धाराम जाति नाई निवासी नया खरंटिया तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:-18.5.18


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी